विचार वक्तव्य

जगदलपुर, बुधवार 08 अगस्त 2018
www.dandakaranyasamachar.com

अमृत वाणी

जल में मीन का मौन है, पृथ्वी पर पशुओं का कोलाहल और आकाश में पंछियों का संगीत पर मनुष्य में जल का मौन पृथ्वी का कोलाहल और आकाश का संगीत सब कुछ है।

- रवींद्रनाथ ठाकुर

सुषमा की चेतावनी जायज

भारत की विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीयों को विदेश भेजने का क्रम जारी रहने के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है वह सर्वथा जायज है। हालांकि उन्होंने अपनी गहरी चिंता इराक भेजे जाने वाले नवयुवकों के बारे में विशेष तौर पर व्यक्त की है क्योंकि भारत में मानव तस्करी में लगे दलालों द्वारा पूर्व में भी जिन 30 युवकों को इराक भेजा गया था, इराक में उनकी हत्या कर दी गई। आइ एस आइ से जुड़े ये दलाल अभी भी खतरनाक इरादों के साथ अपने धंधे में लगे हुए हैं। वैसे इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि मानव तस्करी का यह गोरखधंधा अन्य देशों में भी बदस्तूर चल रहा है। कभी नौकरी का प्रलोभन देकर तो कभी विवाह के नाम पर कतिपय दलालों द्वारा लोगों को अंधेरे में रखते हुए चोरी छिपे अवैध रूप से विदेश भेज दिया जाता है। वहां पहुंचाकर ये लोग इन्हें बेच देते हैं जिससे कोई बंधक मजदूर बनकर रह जाता है तो कोई शेखों के हारमों में कैद होकर। ऐसे लोग विदेश जाते तो हैं सुनहरे सपने लेकर लेकिन वहां जाकर उनका कैसा हश्र हो सकता है उसकी कल्पना भी वे नहीं कर सकते। वो कैसा जीवन जी रहे हैं अथवा उनका कोई अता पता तक उनके परिवार अथवा सगे रिश्तेदारों को नहीं रहता जिससे वे विदेश में ही क्रमशः गुमनाम होकर रह जाते हैं और जो लोग आतंकवादियों के जाल में फंसते हैं उनके तो जीवन की ही कोई निश्चयता नहीं रहती।

आश्चर्य की बात यह है कि शासन की ओर से बार-बार इस बारे में सचेत किया जाता है कि अगर विदेश जाना हो तो अधिकृत सरकारी एजेंजों के जरिए ही जाएं ताकि विदेश में उनकी सुरक्षा से सरकार भी वाकिफ हो। यही नहीं, अवैध एजेंटों के जरिए विदेश जाने वालों की कुछ-कुछ करूण कहानियां भी समय-समय पर प्रकाश में आती है। लोग कैसे जान बचाने की अपील सरकार से करते है यह भी लोगों के सामने आता है फिर भी न जाने लोग कैसे प्रलोभनों और झूठे सपनों के फेर में पड़कर अवैध दलालों के जाल में फंसते जाते हैं। प्रलोभन का प्रभाव तो ऐसा कि कभी-कभी मांए तक उसके चक्कर में अपनी मासूम बेटियों को बेचकर अनिश्चयता और भयावहता के गह्वर में ढकेल देती है। मूल तथ्य यह है कि सरकार अपनी ओर से कानून बनाकर इस धंधे पर शिकंजा कसने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, जब तक लोग स्वयं सतर्क होकर हर प्रकार के प्रलोभनों आदि से स्वयं को दूर नहीं करेंगे तब तक ऐसे शोषण और अत्याचार से बचा पाना आसान नहीं होगा।

राजकाज

इन्हें कौन रोकता है पूजा पाठ से

यह तो आमतौर पर सभी जानते हैं कि दलितों को सार्वजनिक तौर पर अनेक मंदिरों में जाने से रोका जाता है और उन्हें पूजा.पाठ तक का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब इस बात को जो लोग गलत बताते हैं उनके लिए खबर है कि कौशांबी में अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा करने से रोका गयाए जिसकी शिकायत डीएम से की गई है। इस पर डीएम ने सीओ सिराथू से तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौपने को कहा है। इस मामले में जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के रहते हुए दलितों को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं रहेगी और इसी तरह से लोगों को धार्मिक स्थलों में जाने से भी रोका जाएगा और यदि कोई दलित शादी के समय घोडी पर भी चढ़ेगा तो उसे भी ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब इसे लेकर राजनीति गरमाने लगी है और दलितों के निशाने पर सरकार और उसके नुमाइंदे आते जा रहे हैं। यहां पर विचारकों का कहना है कि यदि कोई पूजा करना चाहता है तो उसे करने दिया जाना चाहिए यह उसके और भगवान के बीच का मामला हैए इसमें कोई अवरोध कैसा पैदा कर सकता है।

शर्मनाक घटनाएं और बिगड़े बोल

हरियाणा के गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक की जबरन दाड़ी काटे जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिन्होंने यह सब किया है मैं उनसे और उनके पिता से यह कहना चाहता हूं कि यदि तुम हमारे गले भी काट दोगे तब भी हम मुस्लिम ही रहेंगे। हां हम तुम्हें जरूर मुस्लिम बना देंगे और तुम्हें ही दाढ़ी रखने पर मजबूर कर देंगे। ओवैसी के बयान को बिगड़े बोल बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जबकि ओवैसी समर्थकों का कहना है कि एक तरफ अल्पसंख्यकों और दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसी के कुछ कहने को बिगड़े बोल बताया जाता हैए यह तो एकतरफा बात हैए यदि ये घटनाएं घटित ही न हों तो फिर कोई क्योंकर सवाल खड़े करेगा। जानकारों का कहना है कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुन रहे हैंए क्योंकि हिंसा करने वालों को रोकने के लिए उन्होंने सख्त बयान दिया था, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ।

रक्षा सौदो में पारदर्शी व्यवस्था की दरकार

> संसद में गत दिनों सरकार के खिलाफअविश्वास प्रस्ताव पर बुरी तरह पटखनी खाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल रक्षा सौदे को लेकर जिस प्रकार बेहद आक्रामक रूख अपना लिया है और भाजपा के चार सांसदों द्वारा राहुल गांधी के खिलाफविशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने के बाद राफेल मामले में तीखे तेवर अपनाते हुए कांग्रेस द्वारा भी प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के खिलाफविशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए गए हैंए आने वाले दिनों में इसके चलते सरकार की परेशानियां बढ़ना तय है।

एक तरफ जहां कांग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे को मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला करार दे रहे हैए वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ माह पूर्व राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कह चुकी हैं कि इस सौदे को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुए अनुबंध में यह निक्षित हुआ है कि इस सौदे में सूचनाओं और वस्तुओं के आदान.प्रदान का मामला 2008 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के अंदर आता हैए जिसके मुताबिक इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री अरूण जेटली भी कह चुके हैं कि राफेल डील की जानकारी राष्ट्रहित में जगजाहिर नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को उस हथियार का ब्यौरा मिल जाएगा और जब किसी भी देश से ऐसा सौदा होता है तो यह सुरक्षा समझौता में निहित होता हैए अतः यदि इसका ब्यौरा देंगे तो हथियार प्रणाली की क्षमता जगजाहिर हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार यह सौदा कीमतए उपकरणोंए हथियारोंए आपूर्तिए रखरखाव तथा प्रशिक्षण जैसे सभी मामलों में यूपीए सरकार द्वारा किए गए सौदे से कहीं बेहतर है और जिस सौदे को यूपीए सरकार 10 सालों में भी अंजाम नहीं दे पाईए उसे एनडीए ने सिर्फएक साल में पूरा किया।

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ओर सरकार की ओर से इस सौदे को कीमत इत्यादि हर लिहाज से पिछली सरकार से बेहतर बताया जा रहा हैए वहीं दूसरी ओर गोपनीयता के बहाने इस सौदे के बारे में कुछ भी बताने से इन्कार किया जाता रहा है। आखिर क्योंए खुद रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ माह पूर्व घोषणा की थी कि वो राफेल विमान खरीद का दाम राष्ट्र को बताएंगी किन्तु बाद में उन्होंने अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया तथा सदन में बयान दिया कि फ्रांस के साथ यह समझौता गोपनीय हैए इसलिए इस खरीद का मूल्य नहीं बताया जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि एक ओर सरकार कहती है कि समझौता गुप्त है और वह इसके बारे में देश को कुछ नहीं बता सकतीए दूसरी ओर खुद राफेल बनाने वाली कम्पनी ष्दसाल्ट एविएशनष् ही इस सौदे का मूल्य के साथ 2016 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा कर देती है। आखिर कैसा गुप्त समझौता है यहघ् कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि विमान के खरीद मूल्य में पूरी तरह अपारदर्शिता रहीए रक्षा खरीद प्रक्रिया के कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति से पूर्व अनुमति नहीं ली गई। प्रश्न यह है कि यदि इस सौदे में कहीं किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई और आज न सिर्फकांग्रेस बल्कि कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी इस सौदे को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को इसे लेकर उत्पन्न विरोधाभासों को दूर करने की जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए।

अगर कांग्रेस के तमाम दावों को खारिज करते हुए मान भी लें कि इस डील में कोई अनियमितता नहीं बरती गई तो भी क्या देश की उस जनता कोए जिसके द्वारा दिए गए कर रूपी धन से इस तरह की खरीद होती हैए यह जानने का हक नहीं कि सरकार ने जो खरीद की हैए वो कैसी है और कितने की हैघ् क्या सेना को भी यह जानने का अधिकार नहीं कि उसके लिए खरीदे गए सामान पर कितना खर्च हुआए उस सामान की कितनी कीमत चुकाई गईघ् अगर सरकार से राफेल से जुड़ी तकनीक की विस्तृत जानकारी मांगी जाती तो निसंदेह देश की सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीयता से जुड़ा मामला बताकर इसे आसानी से टाला जा सकता था किन्तु अगर सरकार से यह पूछा जा रहा है कि राफेल सौदे की वास्तविक कीमत क्या है तो भला इसमें गोपनीयता की क्या और क्यों जरूरत हैष्

सितम्बर 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ वित्तीय पहलुओं को छोड़कर समझौता हुआ है। यहां महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी सौदे को तय करते समय सबसे अहम बात उसका वित्तीय पहलू ही नहीं होताघ् प्रंस के साथ बातचीत के दौरान वित्तीय पहलू को ही नजरअंदाज कर दिया गया तो उसमें कैसी खुशी छिपी थीघ् कांग्रेस प्रधानमंत्री से पहले भी कुछ सवाल पूछ चुकी हैंए जैसे झाफेल डील में घपला हुआ है या नहींघ् क्या अनुबंध में बदलाव हुआ या नहींघ् आपने इस सौदे से पहले कैबिनेट समिति से पूछा या नहींघ् एयरो स्पेस में जीरो अनुभव रखने वाली निजी कम्पनी पर राफेल सौदे में विश्वास क्यों किया गयाष्घ् इनके अलावा भी बहुत सारे सवाल उठे हैं किन्तु उनके जवाब कभी नहीं मिले।

- योगेश कुमार गोयल
(दे लेखक के अपने विचार है)

क्या फिर से एससी एसटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए

गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी.एसटी एक्ट में किये गये बदलाव को रोकने के लिए गंभीर नही है। विषय को उठाते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में 12 सितम्बर 1989 को एससी.एसटी अत्याचार निवारण कानून बना था। उन्होंने यह भी कहा कि देश में हर 15 मिनट में इन समुदाय के लोगों पर अत्याचार होता है।

सरकार अन्य विषयों में छरू अध्यादेश भी लेकर आई है लेकिन इस मामले में सरकार ने कोई कदम नही उठाया। खड़गे ने आगे कहा कि सरकार कल ही बिल पेश करेए कांग्रेस पार्टी उसे पारित कराने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शायद कांग्रेस को जानकारी हो चुकी है कि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और सरकार इसे इसी सत्र में पास कराएगी।

मेरे मतानुसार दोनों ही पार्टियां दलितों की वास्तविक हितैषी नही हैं। वे मात्र दलित हितैषी होने का दिखावा कर रही हैं ताकि आगामी चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। गौरतबल है कि देश में 84 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। देश में करीब 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं जो लगभग 250 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। आगामी 2019 के चुनाव के मद्देनजर सत्तापक्ष और विपक्ष इनके पक्ष में खड़े हैं। इस वर्ष के अंत में मध्यप्रदेशए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं।

ध्यान रहे कि 20 मार्च को अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति.अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून में तीन सुधार किये थे। प्रथमए किसी भी दलित पर हुए अत्याचार की थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से पहले उसकी जांच की जावे। दूसराए किसी भी आरोपी को गिरतार करने के पूर्वए यदि वह सरकारी कर्मचारी हो तो उसके वरिष्ठ अफ्सर से अनुमति ली जावे। तीसराए आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये तीनों संशोधन तर्क संगत प्रतीत होते हैं फिर क्या वजह है कि इस संबंध में एक तरफजहां दलित वर्ग के नेताओं द्वारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर भाजपा एवं कांग्रेस जैसी पार्टियां इस संबंध में अध्यादेश लाने अथवा संशोधित बिल पारित करने की पैरवी कर रही हैं।

प्रश्न यह पैदा होता है कि 1989 के कानून को यथावत रखने या उसे और सुदृढ़ बनाने से क्या एससी.एसटी के लोगों का वास्तविक भला होने वाला है घ् मुझे इसका उत्तर नही प्रतीत होता है। ज्ञात हो कि अभी तक इस कानून के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में मात्र 15 प्रतिशत अपराधी ही सजा पा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाये ताकि इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति सजा पा सकें ना कि दिखावे के लिए तत्काल एफआईएआर दर्ज होने अथवा आरोपियों को जमानत इत्यादि न मिलने देने की। आवश्यकता इस बात की है कि देश में समतामूलक वातावरण का निर्माण किया जावे। एससी.एसटी के लोगों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराई जावे। इन्हें आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इनके लिए रोजगार के उचित प्रबंध किये जावें। इन लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। ऐसा ना करते हुए राजनैतिक पार्टियां एससी.एसटी के लोगों को अल्पाचार निवारण कानून को कड़ा करने अथवा ढिलाई देने के खेल में उलझाए हुए हैं ताकि वास्तविक मुद्दों से इनका ध्यान बंटा रहे।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जिनको केन्द्र एवं प्रदेशों में शासन करने का प्रयाप्त अवसर मिला हैए अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए समुचित उपाय करने में विफ्ल रही हैं। त्रासदी यह भी है कि स्वयं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बड़े.बड़े नेता भी मात्र अत्याचार निवारण जैसे कानूनों के सहारे ही इन वर्गों का भला होता देख रहे हैं। विगत 38 वर्षों में शासकीय सेवा के दौरान मैंने आज तक इन वर्गों के किसी भी बड़े नेता को शिक्षाए स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर आंदोलित होते नही देखा है। इन नेताओं द्वारा जाति तोड़ने जैसे कार्यक्रम भी नही चलाये जा रहे हैं। वे इस कानून एवं आरक्षण जैसे भावनात्मक मुद्दे ही उठाते हैं ताकि इन वर्गों को यह संदेश दे सकें कि वे ही इनके वास्तविक हितैषी हैं जबकि सत्यता इसके परे है।

इसे विडम्बना ही कहा जावेगा कि जो गलती पूर्व में कांग्रेस की सरकार करती रही हैए मोदी सरकार भी उसी राह पर चलती दिख रही है। वर्षों तक जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति का वास्तविक कल्याण किये ही कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए इनका एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही हैए उसी तरह भाजपा की वर्तमान केन्द्रीय सरकार दो कदम आगे बढ़कर इन वर्गों के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है जो न तो इन वर्गों के हित में है और ना ही देशहित में। मुझे लगता है किजिस तरहवर्षों पूर्व कांग्रेस ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को संसद में बदलकर गलती की थीए वैसी ही गलती भाजपा इस कानून को संसद में बदलकर करने जा रही है।

केन्द्र सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोन्यायालय में तर्क देकर ही सुधरवाया अथवा बदलवाया जाता। अगर ऐसा होता तो न तो विभिन्न जातियों के बीच आन्दोलन की नौबत आती और ना ही जातियों में नये कलह के बीज पड़ते। अगर भाजपा सरकार इस मुगालते में है कि इस कानून को संसद में बदलने से उन्हें आगामी चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होगा तो वह गलतफहमी की शिकार है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की अनावश्यक कानूनगिरी से बचे और वंचित वर्गों के वास्तविक उत्थान के हित में आवश्यक नियमध्कानूनध्योजनाएं बनाये। ऐसा होने पर ही एक समतामूलक एवं विकसित राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकती है।

-आजाद सिंह डबास
(दे लेखक के अपने विचार है)

आस्थावानों की सहायता करता है ईश्वर

ईश्वर को हम भले ही न देख पाएं लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा होता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों एवं सद्कर्मियों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। शास्त्र कहता है कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी संतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाये नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। गजराज की कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गये। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। सूरदास जी के जीवन की भी एक ऐसी ही कथा है। सूरदास जी देख नहीं सकते थे। एक बार गलती से एक गड्ढे में गिर गये। गड्ढे से निकलने का काफी प्रयास करने पर भी वह बाहर निकलने में असफल रहे। इस स्थिति में सूरदास जी ने गोपाल को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में पहुंच गये और सूरदास जी को गड्ढे से बाहर निकाला। मीरा के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने मीरा को मारने के लिए भेजे गये विष को प्रभावहीन कर दिया। बघेलखण्ड के बान्धवगढ़ में रहने वाले सेन नामक नाई की भी भगवान ने सहायता की और बघेलखंड का राजा सेन नाई का भक्त बन गया। यह घटना पांच छ सौ साल पुरानी है। सेन नाई राजा की सेवा करता था। इसका काम प्रतिदिन राजा की हजामत बनाना और तेल मालिश करके स्नान कराना था। एक दिन सेन नाई जब राजमहल की ओर चला तब रास्ते में संतों की टोली मिल गयी। नाई उन्हें लेकर घर आ गया और उनकी खूब सेवा की। संतों के साथ बैठकर सत्संग में भाग लिया। राजा के स्नान करने का समय बीता जा रहा था। नाई के नहीं आने से राजा क्रोधित हो रहे थे। इसी समय भगवान स्वयं सेन नाई का वेष धारणकर राजा की सेवा में पहुंच गये। नई बने भगवान की सेवा से राजा का क्रोध दूर हो गया और मन हर्षित हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद सेन नाई को याद आया कि राजा की सेवा में देरी हो गयी है। हजामत का सामान लेकर डरता हुआ सेन नाई राजमहल में पहुंचा। राजा को देर से आने का कारण बताने लगा। इस पर राजा ने कहा कि तुम तो मेरी हजामत बना चुके हो। आज तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नाई समझ गया कि आज उसके कारण भगवान को नाई बनना पड़ा। इससे नाई को बड़ा अफ्सोस हुआ। राजा को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि नाई की भक्ति की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं आज नाई बनकर आये थे। राजा नाई की भक्त बन गया और उसे अपना गुरू मान लिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो ईश्वर के अस्तित्व और उसकी सहायता का प्रमाण देते हैं। इसलिए कभी भी खुद को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर आस्था रखने वालों की ईश्वर सदैव सहायता करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रारूप पर कोई राजनीति न करें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुखर विरोध करते हुए राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी-पूरी कोशिश की है। उन्होंने लंबे समय से यहां रह रहे गैर भारतीयों को बाहर किये जाने के मुद्दे पर चेताया कि देश एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा होगा।

दीदी का तंग नजरिया

यह न केवल एक गैर जिम्मेदाराना बयान है बल्कि अलगाववादी ताकतों के लिए उत्प्रेरक का काम भी कर सकता है।

ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिया है लेकिन उनका यह कृत्य समाज को स्पष्टतया दो धड़ों में बांटने और हिंसा के लिए प्रेरित करने वाला है। वास्तव में ममता बनर्जी यह सब करके अपने आपको सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक नेता के रूप में उभारना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जगह वह अपने को प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ में स्थापित कर सकती हैं। मगर राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखना और मुद्दे को एक समुदाय विशेष के साथ जोड़कर अलग रंग देना समाज और देश, दोनों के लिए घातक है।

दरअसल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का नया प्रारूप 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हस्ताक्षर से हुए असम समझौते का परिणाम है। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थीं और कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को 1984 के आम चुनाव में हरा कर पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थीं। असम समझौता तत्कालीन राजनीतिक घटकों ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद, असम सरकार और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध था। इस अनुबंध के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम आए सभी विदेशी नागरिकों को चिन्हित करके उनकी नागरिकता और उनके वैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए और उन्हें असम से मूल स्थान वापस भेजा जाए। इस बावत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, न कि एक फाइनल और संपूर्ण सूची। चिन्हित 40 लाख लोगों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह अपना पक्ष सरकार और न्यायालय के सामने रखें। ऐसे में ममता बनर्जी को चाहिए कि वे प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद करें, न कि अवैधानिक रूप से आए लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिये संरक्षण दें। साथ ही भाजपा भी जिम्मेदार व्यवहार करे।